



2026:AHC:35651

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 6362/2026

मालती

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनोज कुमार पाण्डेय, शैलेन्द्र कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी आदेश से पीड़ित महसूस करता/करती है, तो उसका/उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन (मॉडिफिकेशन/वेरिफेशन) मांगने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अधीन अभिलेख (म्यूटेशन) मामला संख्या 11324 / 2024, कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202413360111324 (श्रीमती मालती बनाम प्यारेलाल) का निर्णय करने का निर्देश देना है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 की उप-नियम (7) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 की उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार अभिलेख के अविवादित मामले का निर्णय मामले के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा और विवादित अभिलेख के मामले का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा और यदि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर समाप्त नहीं की जाती है तो इसके लिए कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका लायी गयी है।

6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 की उप-नियम (7) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

17 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”